B-3 4
L-29
Polity

## धन विधेयक (Money Bill)

1.) कर, बढ़ाने, घटाने या परिवर्तित करने में

2.) भारत सरकार का उधार, गारन्टी

3.) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग

4. भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा

5.) भारत की संचित निधि, लोकलेखा (समिति) से राशियों की प्राप्ति।

6.) संचित निधि पर अन्य व्यय भारित करना

### संसद की प्रक्रिया

(i) केवल लोकसभा में प्रस्तुत

(ii) विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा।

(iii) धन विधेयक, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है।

(iv) धन विधेयक में राज्यसभा की भूमिका द्वितीयक होती है राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

# सामान्य विधि को पारित करने की प्रक्रिया :-

## भारत सरकार के गुल्लक

**भारत की संचित निधि**
- (i) करारोपण
- (ii) उधार से प्राप्त
- (iii) संसद की अनुमति के बिना कोई पैसा खर्च नहीं होगा अनुच्छेद (265)

**संचित निधि पर भारित व्यय।**
- (ii) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ
- (iii) राज्यसभा के सभापति
- (iv) लोकसभा स्पीकर / उपाध्यक्ष
- (v) राज्यसभा का उपसभापति

- • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन
- • CAG।
- • UPSC के अध्यक्ष / सदस्य पदाधिकारी

---

**लोकलेखा**
- (i) आम जनता का पैसा
- (ii) सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है।
- (iii) कर्मचारी / LTC का फण्ड
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा खर्च

**आकस्मिक निधि**
- (i) संसदीय विधि द्वारा निर्धारित
- (ii) 500 करोड़
- (iii) राष्ट्रपति - आपदा / बाढ़ तूफान

**अनुच्छेद - 110** धन विधेयक

**अनुच्छेद - 112** वार्षिक वित्तीय विवरण

**अनुच्छेद - 117** वित्तीय विधेयक

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

## वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद-112

- वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत
- सामान्य चर्चा
- लेखानुदान
- विभागीय समिति
- बजट पर चर्चा- अनुदान की माँग
- 
- विपक्ष- कटौती प्रस्ताव

कटौती प्रस्ताव →
- आर्थिक
- नीतिगत कटौती
- सांकेतिक

- गिलोटिन
- विनियोग विधेयक
- वित्त विधेयक

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

### विभागीय समिति :-

- विभागीय समितियों का प्रयोग भारत में 1993 से हुआ और विभागीय समितियों का विचार अमेरिका से लिया गया।
- विभागीय समितियां संसदीय समितियां ही हैं जो स्थायी समिति है क्योंकि ये वर्ष भर कार्य करती हैं।

## विभागीय समिति

- कुल समितियां - 24
- प्रत्येक समिति में 31 सदस्य
  - 21
  - 10
  - → संयुक्त समिति
- समिति 24
  - 16 लोकसभा → प्रशासनिक सुविधा
  - 8 राज्यसभा
- कार्यकाल
  - सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
  - सदस्यों का मनोनयन स्पीकर, राज्यसभा के सभापति

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHANPUR

- विभागीय समितियां कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायित्व को और सदृढ़ बनाती हैं क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक मंत्रालयों की कार्यप्रणाली पर संसद का नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

  इन्हें विभागीय समितियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा विभागों के कार्यों की निगरानी की जाती है।

- विभागीय समितियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) विभागों के द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक की जांच करना।

(ii) मंत्रालयों के वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा।

(iii) विभागों के अनुदान के मांग की जांच करना।

- संसद के द्वारा बजट पारित करने मे लगभग 50 दिन लगाये जाते हैं जो अनुदान की मांग पर विचार के लिए अपर्याप्त होता है। इसलिए विभागीय समितियां अनुदान की मांग पर पैनी नजर रखती हैं। जिससे करदाताओं के पैसे का उचित उपयोग हो सके।
- विभागीय समितियों के अभाव में संसद के कार्यपालिका पर वित्तीय निगरानी बनाए रखना असंभव हो जायेगा क्योंकि कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखना वित्तीय निगरानी ही सबसे शक्तिशाली विकल्प है।

संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण :-

- संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया जाता है-

(i) प्रश्न पूछना
(ii) प्रस्ताव और संकल्प
(iii) अनुदान की मॉग
(iv) कटौती प्रस्ताव के द्वारा वित्तीय नियंत्रण

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

- उपरोक्त में सबसे प्रभावी वित्तीय नियंत्रण ही होता है। यद्यपि वित्तीय नियंत्रण के मामले में लोकसभा की भूमिका प्राथमिक होती है। अनुदान की मांग पर चर्चा राज्यसभा में भी की जा सकती है लेकिन मतदान और कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
- संसद के द्वारा लोकलेखा समिति के माध्यम से भी कार्यपालिका के खर्च पर निगरानी बनायी जाती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR